

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ़)

आहरण बनाम जगदीश शर्मा

राजस्व वाद सं. 88, 188 आर.टी.एक्ट नं. 537/18 सन् 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 13.11.18 | वकील वादी ने यह वाद पेश किया। वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26.12.18 को पेश हो। | |
| 26.12.18 | पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. गो. राज पत्रावली दि. 6.2.19 | |
| 6.2.19 | वकील काउंटी उपखण्डाधिकारीगण उपखण्डाधिकारीगण की तलबी इन्तजार सम्मन है। पत्रावली दि. 14.2.19 को पेश है। | |
| 14.2.19 | वकील काउंटी उपखण्डाधिकारीगण उपखण्डाधिकारीगण की तलबी इन्तजार सम्मन पुनः सम्मन फलतः पत्रावली दि. 3.4.19 को पेश है। प्रो. सी. कल को भेजा है। | |
| | 3.4.19 पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. गो. राज अरु काउंटी उपखण्डाधिकारीगण की तलबी इन्तजार सम्मन पत्रावली दि. 17.6.19 | |

वाडस. 537/18 - 85,188/17

मोहर सिंह vs जगदीश ठाकुर

28.5.19

वाडी नं. 1 परिसर नवरील डा.
 पत्र पेश कर निवृत्त कियामि
 प्रकरणा के आदेश 17.6.19
 हे जिन आज की तारीख पेगी
 में किये जाकर वाड वाडी मुताबिक
 राजीनामा से खारिज किये जाने
 वाली वाडी एवं वाडी नं
 निवृत्त पर वाड वाडी मुताबिक
 राजीनामा से खारिज किये
 जाता है पत्रावली नंबर से
 कस हाकर उपर आशकिल है
 निर्णय सुनाया गया



इसका मतलब है (आदेश)
 दी है

मोहर सिंह
 पत्रावली नंबर
 28/5/19